



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276861
CG-DL-E-06102026-276861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 294]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

विषय: रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के पद को भरने के लिए मानदंड।

फा. सं. 2026/सीआरबी एवं सीईओ-सीसी/13/31.— भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में लेवल 17 के पे मैट्रिक्स 2,25,000/- ₹. (नियत) में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के पद के लिए नियुक्ति को शासित करने वाली नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन से दिनांक 11.02.2020 के संकल्प सं. ईआरबी-1/2016/11/6 के तहत पहले अधिसूचित मानदंडों के अधिक्रमण में निम्नलिखित पद्धति और पात्रता मानदंडों का पालन किया जाएगा:-

2. पद्धति:

चयन समिति द्वारा महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जो भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) के पात्र अधिकारियों के कार्य-निष्पादन और

अन्य उपयुक्त कारकों के मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड होंगे और सदस्य के रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण, विभाग में भारत सरकार के सचिव और महानिदेशक (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा) शामिल होंगे। चयन समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल को, पद को भरने के विशिष्ट प्रस्ताव के साथ मंत्रिमंडल को नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3. पात्रता मानदंड:

3.1 रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.09.2018 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)I-2016/आरटी-16 के तहत अपनाई गई भारत सरकार की दिनांक 11.08.2018 की अधिसूचना सं. जीएसआर 767 (ई) के अनुसार रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों और डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बासठ (62) वर्ष होगी और यदि अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर क्लिनिकल पद में तैनाती का विकल्प चुनते हैं तब उस अवस्था में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी, जैसा कि समय-समय पर रेल मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाए। इस निर्णय के अनुसार, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत डॉक्टर 62 वर्ष की आयु के बाद कार्यरत नहीं रह सकते और उन्हें या तो सेवानिवृत्त होना पड़ेगा अथवा 65 वर्ष तक की आयु तक सेवा में जारी रहने के लिए क्लिनिकल पदों में तैनाती का विकल्प अपनाना पड़ेगा। रेल मंत्रालय द्वाारा महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के पद को प्रशासनिक पद के रूप में चिह्नित किया गया है।

3.2 महानिदेशक, रेल स्वास्थ्य सेवा के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए, एक अधिकारी को इस रिक्ति की तारीख के समय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:-

(क) भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (पे मैट्रिक्स में लेवल 15) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ पदधारी होना चाहिए, ऐसा न होने पर भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (पे मैट्रिक्स में लेवल 15) और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पे मैट्रिक्स में लेवल 14) में 5 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा होनी चाहिए।

(ख) उक्त पैरा 3.1 के अनुसार रिक्ति की तारीख पर सेवानिवृत्ति से पहले कम-से-कम एक वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।

4. जनहित में व्यावहारिकता के मद्देनजर उक्त उल्लिखित किसी भी प्रावधान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से आवश्यक सीमा तक छूट दी जा सकती है। उपर्युक्त पद पर नियुक्ति की सिफारिश करते समय इस तरह की किसी भी छूट को विशेष रूप से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के ध्यान में लाया जाएगा।

आनंद कुमार, स्थापना अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th September, 2026

Sub: Norms for filling up of the post of Director General, Railway Health Services, Ministry of Railways (Railway Board)

F. No. 2026/CRB&CEO-CC/13/31.— The Government of India, having reviewed the policy and procedure governing appointment to the post of Director General, Railway Health Services, in the Ministry of Railways (Railway Board), in Level 17 of Pay Matrix ₹ 2,25,000/-(fixed), have decided that the following, method and eligibility criteria will be followed, for the purpose of selection to the post of Director General, Railway Health Services, in supersession of the norms notified earlier vide Resolution No. ERB-1/2016/11/6 dated 11.02.2020:-

2. Method:

A panel of names for consideration for appointment to the post of Director General, Railway Health Services shall be prepared on the basis of assessment of performance and other relevant factors in respect of eligible officers of Indian Railway Health Service (IRHS) by a Selection Committee consisting of Chairman, Railway Board as Chairman, Secretary to the Government of India in the Department of Personnel & Training and the Director General (Central Health Services), as Members. The panel, as prepared by the Selection Committee, shall be submitted for approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) along with a specific proposal for filling up of the post.

3. Eligibility Criteria:

3.1 In terms of Notification No. GSR767(E) dated 11.08.2018 of Government of India as adopted by the Ministry of Railways vide letter No. E(P&A)I-2016/RT-16 dated 20.09.2018, the age of superannuation in respect of Doctors belonging to Indian Railway Health Service and Dental Doctors under the Ministry of Railways shall be sixty-two (62) years unless they exercise the option of posting to a Clinical post, depending upon their expertise and experience, as decided by the Competent Authority in the Ministry of Railways from time to time, in case they desire to continue in their service upto the age of sixty-five (65) years. As per this decision, doctors working against administrative posts cannot continue beyond the age of 62 years and they have to either superannuate from service or have to opt for posting to clinical posts for continuing in service upto 65 years of age. The post of Director General, Railway Health Services has been identified as an administrative post by the Ministry of Railways.

3.2 For being considered to the post of Director General, Railway Health Services, an officer should, on the date of occurrence of vacancy:-

(a) be holding a post in Higher Administrative Grade (in Level 15 of Pay Matrix) of Indian Railway Health Service (IRHS) with two years regular service in that grade, failing which with five years combined regular service in Higher Administrative Grade (in Level 15 of Pay Matrix) and Senior Administrative Grade (in Level 14 of Pay Matrix) of Indian Railway Health Service (IRHS); and

(b) have at least one year residual service before superannuation, in terms of para 3.1 above, on the date of occurrence of the vacancy.

4. Any of the above mentioned provisions may, if considered expedient in the public interest, be relaxed to the extent necessary in consultation with the Department of Personnel & Training. Any such relaxation shall be specifically brought to the notice of the Appointments Committee of the Cabinet, while recommending appointment to the above post.

ANAND KUMAR, Establishment Officer